



अति महत्वपूर्ण

संख्या- 8/2026/120/सैतालीस-का-5-2026-(1788429)

प्रेषक,

एम० देवराज,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उओप्रओ शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उओप्रओ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उओप्रओ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उओप्रओ।

कार्मिक अनुभाग-5

लखनऊ: 06-04-2026

विषय:- समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ') वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-07/2023/293/सामान्य/सैतालीस-का-4-2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 द्वारा राज्य कर्मचारियों का सेवा विवरण अद्यतन किया जाना (नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबन्धन आदि) मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ए०पी०आर०) प्रबन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से संबंधित समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि राज्याधीन सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनमें सम्बन्धित कार्मिक द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध कराने तथा प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपना मन्तव्य अंकित किये जाने के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है। प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध संबंधित कार्मिक द्वारा प्रत्यावेदन दिये जाने तथा उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण किये जाने के संबंध में भी स्पष्ट व्यवस्था शासनादेशों में दी गयी है।

3- इस संबंध में राज्याधीन सेवाओं के समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि अंकित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध कराने तथा प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अपना मन्तव्य अंकित किये जाने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध संबंधित कार्मिक द्वारा प्रत्यावेदन दिये जाने एवं उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण किये जाने के संबंध में निर्धारित तिथि / समयावधि संबंधी व्यवस्था करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि (APAR) मानव सम्पदा पोर्टल यू०आर०एल० ehrms.upsdc.gov.in पर आनलाइन दाखिल किये जाने के साथ ही साथ समूह 'ग' एवं 'घ' की प्रविष्टियां भी आनलाइन दाखिल किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आलोच्य वर्ष 2025-26 में समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन लिखे जाने हेतु निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

(1) आलोच्य वर्ष 2025-26 की वार्षिक प्रविष्टियाँ Online लिखे जाने हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रस्तावित Time line निम्नवत् निर्धारित की जाए:-

- (I) Work flow दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक अनिवार्य रूप से जेनरेट कर दिया जाए।
- (II) समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या दिनांक 31 मई, 2026 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाएगी। समूह 'घ' के कार्मिकों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी, अपितु उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा समयान्तर्गत उनकी वार्षिक प्रविष्टि अंकित कर दी जाएगी।
- (III) प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी क्रमशः 31 जुलाई, 30 सितम्बर तथा 31 दिसंबर तक अपना-अपना मन्तव्य अंकित करेंगे।
- (IV) वार्षिक प्रविष्टियों का Disclosure दिनांक 31 दिसम्बर तक रहेगा।
- (V) वार्षिक प्रविष्टियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की तिथि 15 फरवरी तक रहेगी।
- (VI) वार्षिक प्रविष्टियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन निस्तारित करने की तिथि 31 मार्च तक होगी।

(2) संबंधित अधिकारियों के Signature हेतु e-sign / Digital Signature तथा Mobile से OTP आधारित व्यवस्था अपनाई जायेगी।

(3) आलोच्य वर्ष 2025-26 में वार्षिक प्रविष्टियों को Auto Forward किए जाने की व्यवस्था यथावत रहेगी, अर्थात् निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत क्रमशः स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता द्वारा मन्तव्य अंकित करने अथवा न करने पर प्रश्नगत प्रक्रिया अगले स्तर हेतु स्वतः अग्रेनित (Auto Forward) हो जाएगी। यदि संबंधित अधिकारी द्वारा अपनी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गयी है / मन्तव्य अंकित नहीं किया गया है तो उक्त अवसर स्वतः समाप्त हो जाएगा फलतः दिनांक 31 दिसम्बर के बाद स्वमूल्यांकन आख्या तथा प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकन की व्यवस्था कालबाधित (Closed) हो जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) पी०सी०एस० अधिकारियों के लिये प्रविष्टि की व्यवस्था पूर्व की भांति Sparrow के माध्यम से रहेगी।
(5) समस्त वार्षिक प्रविष्टियां को स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित स्तर के अनुसार पोर्टल पर एन०आई०सी० द्वारा तदनुसार व्यवस्था की गयी है।

5- वर्ष 2025-26 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन हेतु उक्त निर्धारित समय सारिणी में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी तथा ऑफलाइन / अन्य किसी माध्यम से प्रविष्टि ग्राह्य नहीं होगी। उक्त के संबंध में यह अपेक्षा की जाती है कि पोर्टल के माध्यम से वार्षिक प्रविष्टियाँ ऑनलाइन दाखिल किये जाने हेतु उपरोक्त निर्धारित समय सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। गोपनीय प्रविष्टि विषयक आदेशों के शेष प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,
(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा० मंत्रिगण को, मा० मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।